



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255491
CG-DL-E-17072024-255491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]
No. 2643]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2779(अ).—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 120क की उपधारा (1) [बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 11) की धारा 44 के माध्यम से अंतर्विष्ट] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा “ऐसे आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण या कोई अन्य विशिष्टियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए जाएंगे” से संबंधित धारा 120क के परंतुक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

[फा. सं. ए-48012/25/2024-प्रशा. (सीआरसीएस)]

आनंद कुमार झा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 120क के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे आवेदनों, दस्तावेजों, निरीक्षणों या कोई अन्य विशिष्टियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने की रीति, अधिसूचित की जाने वाली विहित तारीख से प्रभावी होगी और जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 11) के प्रवृत्त होने की तारीख से विहित किया गया है। इस संदर्भ में पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसी तारीख को अधिसूचित करना स्पष्ट है। इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF COOPERATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July 2024

S.O. 2779(E).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 120A of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) [inserted vide section 44 of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 (11 of 2023)], the Central Government hereby notifies that the provisions of section 120A relating to “Filing of applications, documents, inspections, and the like in electronic form” shall be deemed to have come into force with effect from the date of commencement of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act 2023.

[F. No. A-48012/25/2024-Admn (CRCS)]

ANAND KUMAR JHA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

For the purposes of this notification, it is hereby clarified that the provisions of Section 120A of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) provides that with effect from such date as may be notified, the filing of applications, documents, inspection, and the like under this Act should be in electronic form and the process in respect of the same has already been initiated with effect from the date of commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 (11 of 2023). In this regard, it is apparent to notify such date with retrospective effect. By bringing this notification with retrospective effect, the interest of no person shall be adversely affected.